न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 276/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

हनुमान सिह पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, निवासी कोदेसर पुलिस थाना बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

थाना बिसाउ पर दर्ज अ0स0 67/2005 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

उपस्थितः—

1. श्रीमती अनामिका, प्रर्वतन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि—प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हनुमान सिंह— स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 06.04.2022

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2005 को श्री प्रतापसिंह सेवदा आरपीएस वृताधिकारी वृत झुंझुनूं मय श्री ओमप्रकाश दायमा थानाधिकारी थाना बिसाऊ, श्री नन्दलाल एचसी 102, श्री रामचन्द्र एचसी 103, श्री मक्खनलाल कानि 439, श्री संदीप कुमार कानि 364 मय जीप्सी सरकारी नम्बर आरजे 18सी 2987 चालक श्री दयानन्द नम्बर 1051 मय जीप सरकारी नम्बर आरजे 18सी 2457 चालक श्री सुभकरण 1068 के व स्वतंत्र मौतबीर श्री शंकरलाल पुत्र श्री पूर्णमल जाती ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी वार्ड नं. 16 कस्बा बिसाऊ व श्री गंगाधर पुत्र श्री सुरजाराम जाती जाट उम्र 30 साल निवासी लुटटु थाना बिसाऊ को हमराह लेकर मुताबिक मुखबिर की इतला के थाने से रवाना होकर वक्त 5.00 पीएम पर मौजा कोदेसर में मकान हनुमान सिंह जाट के पहुंचा जहां पर चौक में कच्चे छप्पर के पास एक व्यक्ति खडा मिला जिसको पता पूछा तो अपना नाम हनुमान सिंह पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट उम्र 30 साल निवासी कोदेसर होना बताया जिसको मुखबिर की इतला से अवगत करवाया गया व वहां बने कच्चे छप्पर दक्षिण आहते में दो ड्रम लोहे के एक का रंग नीला व एक का रंग कत्थई पडे दिखाई दिए ड्रमो के बारे में उक्त हनुमान सिंह को पूछा गया तो अपना खुद का होना बताया व दोनो ड्रमो में केरोसिन तेल होना बताया। जिसको मन सीओ प्रताप सिंह सेवदा व हमराह मुलाजमान व मौतबिरान को दिखाया व सुंघाया तो उक्त दोनो ड्रमो में केरोसिन तेल की बदबू आ रही थी ड्रमों को चैक किया गया तो एक ड्रम बरंग कत्थई जो नीले रंग के केरोसिन तेल 200 लीटर से भरा हुआ है व एक ड्रम बरंग नीला जिसमें करीब 200 लीटर नीले रंग का केरोसिन तेल भरा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में ExcE N0 73031 K Polypropyleme 202 LET. WT 200 kgs All Asihiglass Mompuny LTD लिखा हुआ है। जिस पर मन सीओ प्रताप सिंह सेवदा ने उक्त शक्स हनुमान सिंह को अपने पास इतनी मात्रा में उक्त केरोसिन तेल रखने के बारे में पूछा तो अपने पास कोई लाइसेंस होना नही बताया जिस पर उक्त दोनो ड्रमो को जब्त पुलिस में लिया जाकर एक एक लीटर नमूना सैंपल केरोसिन तेल की भरकर सलग से निकाली जाकर मौके पर सील मोहर कर मार्क ए—1, ए—2 अंकित किया गया व दोनो को बतौर वजह सबूत मौके पर सील मोहर कर मार्क ए—3 कत्थई रंग के ड्रम पर व ए—4 नीले रंग के ड्रम पर अंकित किया गया मुलजिम हनुमान सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कोदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक

का यह है कि फेल जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट का घटित होना पाया जाता है। अतः मुलजिम हनुमान सिंह को जरिए फर्द अलग से गिरफ्तार किया गया नमूना शील फर्द पर अंकित की गई फर्द जप्ती अवैध कैरोसीन तेल ड्रम दो हस्ब कायदा मुर्तिब कर हाजरीन को पढकर सुनाई सुन व समझ कर सही होना मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये व वापसी थाना पर प्रकरण सुख्या 67/05 धारा 3/7 ईसी एक्ट में दर्ज करवाया गया जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम हनुमान सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कोदेसर के विरूद्ध चालान पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को मुलजिम को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया व दिनांक 18.01.2019 को प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत के निस्तारण के आदेश फरमाये गये। उक्त ड्रमो के रख रखाव हेतु थाना पर उचित व्यवस्था नही है। जप्तशुदा सामान अत्यधीक ज्वलनशील पदार्थ है। उक्त ड्रमो में जंग लगने व पुराने होकर गलने के कारण ड्रमो के फटने की पूर्ण आशंका है जिसके कारण हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा केरोसीन तेल का निस्तारण करवाये जाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि नीले रंग के केरोसिन तेल 200 लीटर से भरा हुआ एक ड्रम व एक और ड्रम बरंग नीला जिसमें करीब 100 लीटर नीले रंग का करोसिन तेल भरा हुआ है, जप्त किये गये है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स केरोसीन के विक्रय बाबत नही था। उक्त केरोसीन तेल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। केरोसीन अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा केरोसीन तेल कमशः 200 लीटर व 100 लीटर मय 2 ड्रमों के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने कथन किया कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.2017 के अनुसार संदेह का लाभ देकर बरी किया जा चुका है। जप्तशुदा केरोसील व ड्रमों के निस्तारण के संबंध मे उसे कोई आपत्ति नही है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.2017 के अनुसार संदेह का लाभ देकर अप्रार्थी को बरी किया जा चुका है। जप्तशुदा केरोसील व ड्रमों के निस्तारण के संबंध मे अप्रार्थी ने कोई आपत्ति नही की है। अतः प्रकरण मे केरोसिन में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस केरोसिन का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये केरोसिन कमशः 200 लीटर व 100 लीटर मय 2 ड्रमों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा कमशः 200 लीटर व 100 लीटर मय 2 ड्रमों का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मण सिह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं